

से पता चला कि 6/24 को केस है।

6/24 पञ्जावली पेत्रा डुर्ब वकील प्राणी उपस्थित विपक्षीगण के सम्मन बतल तागिल लेकर रजि० एडी-से प्राप्त हुए जिसे शा० पठ किये गये। विपक्षीगण को कितनी मर्तवा कक-कक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित इनके विकट एक तरफा सूर्यवही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्राणी का प्र-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पठ किया गया। पञ्जावली केवल सुगर लेकर गठवर से रुम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा



नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इसकी तारीख
में जारी हुए

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

धीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 103/24 प्रा. पत्र

- श्री रामेश्वर s/o श्री हीरर (ओरा) निवासी- भीमका खेडा तहसील- माण्डल

बनाम

- श्री माधुदारा s/o श्री माधुदारा तैरागी निवासी- भीमका खेडा तहसील- माण्डल (कौरी)
(प्राथमिक पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक- 06-06-24

::आदेश::

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निर्दिष्ट किया कि श्री माधुदारा खेडा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते आराजी नं. 290, 291, 292, 654/290 कुल कित्ता 0.4 रकबा 2-048.7 हेक्टर स्थित है। वादग्रस्त भूमि विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्राथमिक पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03-05-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कसाने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर श्री माधुदारा खेडा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 290, 291, 292, 654/290 कुल कित्ता 0.4 रकबा 2-048.7 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता आजाकारी किये हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण माण्डल 300 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में गौके व कब्जे यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कसाने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल